

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 77/2010

No.E(LL)2009/NHRC/HIV/AIDS/2

New Delhi, dated : 21.05.2010

The General Managers,
All Indian Railways / Production Units
CORE/Allahabad & Metro Railway/Kolkata.
DG/RSC & DG/RDSO

The Directors, IRISSET, IRICEN, IRIEEN, IRIMEE, IRITM
The Managing Directors, CONCOR, CRIS, DMRC, IRCTC, IRFC, KRCL,
MRVC, RVNL, RCIL, RITES, DFCCIL, RLDA & IRWO.

Sub.: National Policy on HIV / AIDS and the World of Work.

A copy of the National Policy on HIV / AIDS and the World of Work received from the Ministry of Labour and Employment is sent herewith. The policy is also available on the website of the Ministry of Labour and Employment : www.labour.nic.in/policy/NationalPolicy-on-HIV-AIDS.pdf.

2. Ministry of Railways desire that wide publicity may be given to the National Policy on HIV / AIDS and the World of Work so that efforts to generate awareness about HIV / AIDS and prevention, support and care initiatives at the workplace are effective and successful.

3. Dr. Rajiv Kumar Jain, Director (H&FW) has been nominated as the Nodal Officer in this regard. He may be contacted for further information.

Encl.: As above.


(Dr. Rajiv Kumar Jain)
Director (H&FW)
Telefax : 011-23388373


(A.D. Ramachandran)
Director, Estt.(LL)
Telefax : 011-23384771

Copy alongwith a copy of the National Policy forwarded to :

1. The General Secretary, AIRF
2. The General Secretary, NFIR
3. The General Secretary, FROA
4. The General Secretary, IRPOF

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 77/2010

सं. ई (एलएल) 2009/एनएचआरसी/एचआईवी/एड्स/2 नई दिल्ली, दिनांक: 21.05.2010

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

कोर/इलाहाबाद एवं मेट्रो रेलवे/कोलकाता

महानिदेशक/रेलवे स्टाफ कॉलेज एवं

महानिदेशक/अ.अ.मा.सं.

निदेशक, इरिसेट, इरिसेन, इरिएन, इरिमि, आईआरआईटीएम,

प्रबंध निदेशक, कॉनकोर, क्रिस, डीएमआरसी, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, केआरसीएल,

एमआरवीसी, आरवीएनएल, आरसीआईएल, राइट्स, डीएफसीसीआईएल, आरएलडीए एवं

इरवो।

विषय: एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय नीति।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय नीति की प्रति भेजी जा रही है। यह नीति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है: डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.लेबर.निक.इन/पॉलिसी/नेशनलपॉलिसी-ऑन-एचआईवी-एड्स.पीडीएफ

2. रेल मंत्रालय चाहता है कि एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय नीति का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि कार्यस्थल पर एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा रोकथाम, समर्थन तथा देख-रेख से संबंधित प्रयास प्रभावी तथा सफल रहें।

3. इस संबंध में डॉ. राजीव कुमार जैन, निदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। आगे सूचना के लिए उनसे संपर्क किया जाए।

संलग्नक: यथोक्त।

(डॉ. राजीव कुमार जैन)

निदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

टेलीफैक्स: 011-23388373

रामचन्द्रन

(ए.डी. रामचन्द्रन)

निदेशक, स्थापना (श्रम विधान)

टेलीफैक्स: 011-23384771